ई–मेल

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0 प्रयागराज।

पत्रांक–शि0नि0(बे0)/विधि–3/ 91473 /2023–24 दिनांक 20 मार्च, 2024

विषय– **मान्यता प्राप्त प्राइमरी/अपर प्राइमरी विद्यालयों को समग्र शिक्षा के अन्तर्गत आवर्तक अनुदान के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्रांक–शि0नि0(बे0)/विधि–1/90923/2023–24 दिनांक 19.03.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके साथ महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के पत्रांक–स0शि0/नियोजन/13732/2023–24 दिनांक 14.02.2024 संलग्न करते हुए, जिसके साथ शासन के पत्र संख्या–भा0स0–02/अड़सठ–3–2024 दिनांक 07.02.2024 में उल्लिखित बिन्दुओं का परीक्षण कर स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या शासन को उपलब्ध कराते हुए, कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने की अपेक्षा की गई है।

उपरोक्त पत्र में लिपिकीय/मानवीय त्रुटिवश विषय में **मान्यता प्राप्त प्राइमरी/अपर प्राइमरी विद्यालयों को समग्र शिक्षा के अन्तर्गत आवर्तक अनुदान के सम्बन्ध में** के स्थान पर **निजी प्रबंधतंत्र द्वारा संचालित विद्यालयों को पं0 दीन दयाल उपाध्याय समग्र शिक्षा योजना के सम्बन्ध में** अंकित हो गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गयी है कि पूर्व में प्रेषित इस कार्यालय के पत्रांक–शि0नि0(बे0)/विधि–1/90923/2023–24 दिनांक 19.03.2024 में उल्लिखित विषय **निजी प्रबंधतंत्र द्वारा संचालित विद्यालयों को पं0 दीन दयाल उपाध्याय समग्र शिक्षा योजना के सम्बन्ध में** के स्थान पर **मान्यता प्राप्त प्राइमरी/अपर प्राइमरी विद्यालयों को समग्र शिक्षा के अन्तर्गत आवर्तक अनुदान के सम्बन्ध में** पढ़ा जाये।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय,

20.03.24

(विश्वदीपक त्रिपाठी),
विधि अधिकारी,
कृते शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उ0प्र0, लखनऊ।